<u>शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के छात्रवृत्ति आवेदनों के Fresh/Renewal पंजीकरण तथा शैक्षणिक वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के ऐसे छात्र–छात्राएं जिनका आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित किए जाने के उपरान्त भुगतान न हो पाने विषयक।</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं के नवीन (Fresh) छात्रवृत्ति आवेदनों के पंजीकरण, विगत वर्ष के पात्र छात्रवृत्ति आवेदनों के नवीनीकरण (Renewal), संस्थान द्वारा पंजीकृत आवेदनों का ऑनलाईन सत्यापन कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करने, संस्थान द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदनों को Defect Mark करने के पश्चात् आवेदनों को संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः सही किए जाने के उपरान्त सम्बन्धित संस्थान को अग्रसारित किए जाने तथा संस्थानों द्वारा ऐसे आवेदनों का पुनः सत्यापन कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित किए जाने तथा शैक्षणिक वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के ऐसे छात्र–छात्रा जिनका आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया हो किन्तु छात्र–छात्राओं द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी बैंक की गलत जानकारी अंकित की गई थी अथवा जिनके द्वारा अंकित बैंक किसी अन्य बैंक में विलय (Merge) हो गए हैं, की समस्त जानकारी को सम्बन्धित छात्र–छात्राओं द्वारा पोर्टल पर अपडेट किए जाने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) की तिथि अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक बढायी गई है।

नोटः– अधिक जानकारी हेतु विभागीय दूरभाष नम्बर 6395221188 पर सम्पर्क करें अथवा विभागीय वेबसाईट (https://socialwelfare.uk.gov.in) के मुख्य पृष्ठ पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।